पत्रांक– 218(HSN)

झारखण्ड सरकार

स्वा0, चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग,

प्रेषक,

के0 विद्यासागर,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,झारखण्ड।
सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक / अधीक्षक, ईटकी आरोग्यशाला / अधीक्षक बाम्बे / क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, हजारीबाग।
अधीक्षक / निदेशक सभी चिकित्सा महाविद्यालय,
राज्य अभियत्रण कोषांग।

रॉची, दिनॉक– 19-11-2015

विषयः– AEBAS आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करने में शिथिलता के संबंध में।

महाशया / महाशय,

उपरोक्त विषयक सरकार के निदेशानुसार जिन ईकाईयों में बायोमैट्रिक मशीन उपलब्ध कराई गयी है वहॉ के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को AEBAS आधारित बायोमैट्रिक पर उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। इस व्यवस्था के अंर्तगत स्वास्थ्य विभाग के सभी कार्यालय एवं स्वास्थ्य संस्थानों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को AEBAS आधारित उपस्थिति दर्ज करना है।

प्राप्त प्रतिवेदनों से ज्ञात हो रहा है कि विभिन्न स्तर से कर्मियों तथा चिकित्सकों द्वारा AEBAS आधारित उपस्थिति दर्ज करने में शिथिलता बरती जा रही है जो कि लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है। सरकार द्वारा इसे गम्भीरता से लिया जा रहा है। सभी चिकित्सा सह अन्य कर्मी जो 15/11/15 के पश्चात् AEBAS द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज नही करते है, अनुपस्थित माने जाऐंगे तथा उनका वेतन उन अनुपस्थित दिनों के लिए निर्गत नहीं किया जा सकेगा तथा ऐसे कर्मी जो कि AEBAS पर उपस्थिति दर्ज किए बिना किसी भी परिस्थिति में वेतन ले रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

इसके आलोक में निदेशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर सभी चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों की सूची उपलब्ध कराएँगे जो कि AEBAS के लिए पंजीकृत है और अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे है। साथ ही ऐसे कर्मी जो कि AEBAS में पंजीकृत नहीं हैं उनकी विवरणी भी उपलब्ध करायेंगे। अपने स्तर से कार्रवाई करते हुए शत–प्रतिशत पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(प्रधान सचिव) 19/11/15

ज्ञापांक– 218(HSH) रॉची दिनॉक 19-11-2015

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी उपायुक्त, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अभियान निदेशक, एन0एच0एम0 झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रधान सचिव) 19/11/15

Kamal Tudu/DEO/ NPCB